



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023 / 36

दर्ज तिथि:-27.01.2023

1. जैसाराम पुत्र चिमराम
जाति जाट निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
.....वादी

बनाम

1. हेमाराम पुत्र राउराम
2. देवाराम पुत्र राउराम
3. जमनादेवी पत्नी राउराम
4. केसाराम पुत्र राउराम
5. लच्छाराम पुत्र चिमराम
जाति जाट निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
.....असल प्रतिवादीगण
6. तहसीलदार नौखड़ा
.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालुराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

—:निर्णय:—

संशोधित निर्णय तिथि:-10.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 410/0.6313 है0 मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में



अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 जरिये असागतन-वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त आराजी के अतिरिक्त खसरा संख्या 10/1, 10/8, 11, 126/1, 126/3 मौजा मीठीबेरी एवं खसरा संख्या 54/4 मौजा लोहमरोड व नेणों की ढाणी में भी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी अवस्थित है। खसरा संख्या 410 की भूमि के साथ-साथ उक्त भूमि का भी विभाजन किया जावे। तत्पश्चात् वादीगण का जवाब-उल-जवाब प्राप्त होने पर पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए-

दस्तावेज	संवत्/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 18 सम्वत् 2073-2076	प्रदर्श-01
नक्शा	खसरा संख्या 410 मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी	प्रदर्श-02

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

नाम	जाति	निवासी
जैसाराम पुत्र चिमाराम	जाट	बांकाणी सारणों की ढाणी
सीताराम पुत्र जैसाराम	जाट	बांकाणी सारणों की ढाणी

5. प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.02.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1812 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1812 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</p> <p>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 21.10.2024 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 521-526 दिनांक 14.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> <p>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 521-526 दिनांक 14.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

6. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 410/0.6313 है0 मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी, खसरा संख्या 10/1, 10/8, 11, 126/1, 126/3 मौजा मीठीबेरी एवं खसरा संख्या 54/4 मौजा लोहमरोड़ व नेणों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
7. प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.03.2025 को अंतिम निर्णय व डिक्री पर्चा जारी किया गया। परंतु उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 05 एवं 08 पर केशराराम वगैरह हेतु प्रस्तावित हिस्सा में खसरा संख्या 126/3 के स्थान पर

लिपिकीय त्रुटि से खसरा संख्या 126/1 अंकित हो गया है। पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि केशराराम वगैरह के हिस्से में खसरा संख्या 126/3 अंकित है। अतः उक्त लिपिकीय त्रुटि में सुधार किया जाना आवश्यक होने से उक्तानुसार संशोधन किया जाकर निर्णय दिनांक 10.03.2025 में पृष्ठ संख्या 05 एवं 08 पर केशराराम वगैरह हेतु प्रस्तावित हिस्से में खसरा संख्या 126/1 के स्थान पर 126/3 अंकित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी आराजी खसरा संख्या 410/0.6313 है0 मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी, खसरा संख्या 10/1, 10/8, 11, 126/1, 126/3 मौजा मीठीबेरी एवं खसरा संख्या 54/4 मौजा लोहमरोड़ व नेणों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जैसाराम पुत्र चिमाराम हि0 1/3 लच्छाराम पुत्र चिमाराम हि0 1/3 जमनादेवी पत्नी राउराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	मीठीबेरी	126/3	0.0902	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.0902 है0				
लच्छाराम पुत्र चिमाराम जाति जाट सा0 देह	मीठीबेरी	10/1 10/8 11	2.1044 2.7946 0.1942	बा0सो0 बा0सो0 गै0मु0
कुल किता 03 रकबा 5.0932 है0				
जैसाराम पुत्र चिमाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन:-राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा होड़ू	मीठीबेरी बांकाणी सारणों की ढाणी लोहमरोड़ व नेणों की ढाणी	126/1 10/8 410 54/4	2.9137 0.2486 0.2104 1.7205	बा0दो0 बा0सो0 बा0दो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 5.0932 है0				
केशराराम पुत्र राउराम हि0 1/4 हेमाराम पुत्र राउराम हि0 1/4 देवाराम पुत्र राउराम हि0 1/4 जमनादेवी पत्नी राउराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन:-केशराराम, हेमाराम, जमनादेवी का हि0 आरएमजीबी शाखा होड़ू	मीठी बेरी बांकाणी सारणों की ढाणी लोहमरोड़ व नेणों की ढाणी	126/3 410 54/4	3.2120 0.4209 1.4603	बा0दो0 बा0दो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 5.0932 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023 / 36

दर्ज तिथि:-27.01.2023

1. जैसाराम पुत्र चिमाराम
जाति जाट निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
.....वादी

बनाम

1. हेमाराम पुत्र राउराम
2. देवाराम पुत्र राउराम
3. जमनादेवी पत्नी राउराम
4. केसराम पुत्र राउराम
5. लच्छाराम पुत्र चिमाराम
जाति जाट निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
.....असल प्रतिवादीगण
6. तहसीलदार नौखड़ा
.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालुराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:संशोधित पर्चा डिक्री:-

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी आराजी खसरा संख्या 410/0.6313 है0 मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी, खसरा संख्या 10/1, 10/8, 11, 126/1, 126/3 मौजा मीठीबेरी एवं खसरा संख्या 54/4 मौजा लोहमरोड़ व नेणों की ढाणी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नौखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जैसाराम पुत्र चिमाराम हि0 1/3 लच्छाराम पुत्र चिमाराम हि0 1/3 जमनादेवी पत्नी राउराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	मीठीबेरी	126 / 3	0.0902	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.0902 है0				
लच्छाराम पुत्र चिमाराम जाति जाट सा0 देह	मीठीबेरी	10 / 1 10 / 8 11	2.1044 2.7946 0.1942	बा0सो0 बा0सो0 गै0मु0
कुल किता 03 रकबा 5.0932 है0				
जैसाराम पुत्र चिमाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन:-राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू	मीठीबेरी बांकाणी सारणों की ढाणी लोहमरोड़ व नेणों की ढाणी	126 / 1 10 / 8 410 54 / 4	2.9137 0.2486 0.2104 1.7205	बा0दो0 बा0सो0 बा0दो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 5.0932 है0				
केशराराम पुत्र राउराम हि0 1/4 हेमाराम पुत्र राउराम हि0 1/4 देवाराम पुत्र राउराम हि0 1/4 जमनादेवी पत्नी राउराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन:-केशराराम, हेमाराम, जमनादेवी का हि0 आरएमजीबी शाखा होडू	मीठी बेरी बांकाणी सारणों की ढाणी लोहमरोड़ व नेणों की ढाणी	126 / 3 410 54 / 4	3.2120 0.4209 1.4603	बा0दो0 बा0दो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 5.0932 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो।
खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर